राजस्थान–सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ दिनांक :– 1.10.2013

आदेश संख्या 275/2013–14

विभागीय समसंख्यक आदेश संख्या 226/13–14 क्रमांक 8998–9004 दि॰ 16.09.2013 के द्वारा श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण, उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) से सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार के स्थान पर किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा अपील संख्या 1568/2013 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से दिनांक 19.09.2013 को स्थगन प्राप्त कर लिये जाने के कारण उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) में यथावत् कार्यरत् रहेंगे।

श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) में प्रस्तुत करें।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे–III/ 9661–9666 दिनांक :– 1.10.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके निर्देश दिनांक 13.09.2013 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से प्राप्त स्थगन के अनुसरण में उक्त आदेश निरस्त किये गये हैं।
2. सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री गेनाराम, कनिष्ठ लेखाकार का वेतन भुगतान नियमित पद के विरूद्ध करने की व्यवस्था करें।
3. उप कोषाधिकारी, मेड़ता (नागौर)।
4. श्री बाबूलाल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, गोटन (नागौर) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उप कोषालय, मेड़ता (नागौर) में कार्यग्रहण कर अवगत करावें।
5. संयुक्त निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
9. श्री गेनाराम कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक अभियन्ता खनिज गोटन (नागौर।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक–II}

कमरा नम्बर 310, "A" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर–302015 (फैक्स न॰ 0141–2742309) (ई–मेल :– idp-ta-ri@nic.in)